

विद्या भवन बालिका विद्यापीठ

शक्ति उत्थान आश्रम लखीसराय

विषय संस्कृत      दिनांक 06-01-2021

वर्ग षष्ठ शिक्षक राजेश कुमार पाण्डेय

एन० सी० ई० आर० टी० पर आधारित

लिंग के निर्माण में आई कठिनाई और उसका हल :-

हिंदी में लिंग के निर्णय का आधार संस्कृत के नियम ही हैं। संस्कृत में हिंदी से अलग एक तीसरा लिंग भी है जिसे नपुंसकलिंग कहते हैं। नपुंसकलिंग में अप्राणीवाचक संज्ञाओं को रखा जाता है। हिंदी में अप्राणीवाचक संज्ञाओं के लिंग निर्णय में सबसे अधिक कठिनाई हिंदी न जानने वालों को होती है।

जिनकी मातृभाषा हिंदी होती है उन्हें सहज व्यवहार के कारण लिंग निर्णय में परेशानी नहीं होती। लेकिन इनमें भी एक समस्या है की कुछ पुल्लिंग शब्दों के पर्यायवाची स्त्रीलिंग हैं और कुछ स्त्रीलिंग के पुल्लिंग। जैसे :- पुस्तक को स्त्रीलिंग कहते हैं और ग्रन्थ को पुल्लिंग।

व्याकरणाचार्य ने निर्णय के कुछ नियम बताये हैं लेकिन उन सभी में अपवाद है। लेकिन फिर भी लिंग निर्णय के कुछ नियम इस प्रकार हैं :-

1. जब प्राणीवाचक संज्ञा पुरुष जाति का बोध कराएँ तो वे पुल्लिंग होते हैं और जब स्त्रीलिंग का बोध कराएँ तो स्त्रीलिंग होती हैं।

जैसे :- कुत्ता , हाथी , शेर पुल्लिंग हैं और कुत्तिया , हथनी , शेरनी स्त्रीलिंग हैं।

2. कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों लिंगों का बोध करती है तो वे नित्य पुल्लिंग में शामिल हो जाते हैं।

जैसे :- खरगोश , खटमल , गेंडा , भालू , उल्लु आदि।

3. कुछ प्राणीवाचक संज्ञा जब पुरुष और स्त्री दोनों का बोध करे तो वे नित्य स्त्रीलिंग में शामिल हो जाते हैं।

जैसे :- कोमल , चील , तितली , छिपकली आदि।

लिंग के भेद :-

संसार में तीन जातियाँ होती हैं - (1) पुरुष , (2) स्त्री , (3) जड़। इन्हीं जातियों के आधार पर लिंग के भेद बनाए गये हैं।

1. पुल्लिंग

2. स्त्रीलिंग

3. नपुंसकलिंग